न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 544 सन 2022

अनवान :–

1. महेन्द्रसिंह पुत्र गणपतराम जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रामकिशन पुत्र गणपतराम जाति जाट साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. कनीराम पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन ललानबास दिखनादा तहसील नोहर।
2. मनीराम पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन ललानबास दिखनादा तहसील नोहर।
3. कृष्ण कुमार जाखल पुत्र भूपसिंह जाति जाट साकिन ललानबास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. जयलाल पुत्र मामचन्द जाति जाट साकिन ललानबास दिखनादा तहसील नोहर।
5. भूपसिंह पुत्र मामचन्द जाति जाट साकिन ललानबास दिखनादा तहसील नोहर।
6. शाखा प्रबन्धक मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
7. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक इण्डिया शाखा रामगढ तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 14/7/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 157/157 की कुल 15.6430हैक जिसके वादीगण मुश्तरका खातेदार है तथा रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 147/158 की कुल 15.2640हैक प्रतिवादी संख्या 1 ,2 मुश्तरका खातेदार है एव रोही मौजा ललानबास दिखनादा के खाता संख्या 133/143 की कुल 20.4870हैक प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है ।

वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पूर्वजों ने अपने जीवनकाल में बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु खसरा संख्या 110/1 व खसरा संख्या 110/5 व खसरा संख्या 110/3 व खसरा संख्या 110/2 की भूमि वादीगण के कब्जा काश्त में है सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हुई है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 अपने पूर्वजो के बाहमी बटवारा के अनुसार काश्त करते आ रहे है जो वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पूर्वजो के द्वारा किये गये बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनो तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एक ही परिवार के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

सदस्य है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पूर्वजो ने अपने जीवनकाल में बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है जो वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण उनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 157/157 की कुल 15.6430हैक जिसके वादीगण मुश्तरका खातेदार है तथा रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 147/158 की कुल 15.2640हैक प्रतिवादी संख्या 1 ,2 मुश्तरका खातेदार है एव रोही मौजा ललानबास दिखनादा के खाता संख्या 133/143 की कुल 20.4870हैक प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है ।

वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पूर्वजों ने अपने जीवनकाल में बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु खसरा संख्या 110/1 व खसरा संख्या 110/5 व खसरा संख्या 110/3 व खसरा संख्या 110/2 की भूमि वादीगण के कब्जा काश्त में है सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हुई है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 अपने पूर्वजो के बाहमी बटवारा के अनुसार काश्त करते आ रहे है जो वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जो. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 157/157 की कुल 15.6430हैक जिसके वादीगण मुश्तरका खातेदार है तथा रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 147/158 की कुल 15.2640हैक प्रतिवादी संख्या 1 ,2 मुश्तरका खातेदार है एव रोही मौजा ललानबास दिखनादा के खाता संख्या 133/143 की कुल 20.4870हैक प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है ।

वादीगण का कथन है कि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पूर्वजों ने अपने जीवनकाल में बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है जो वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उनके पूर्वजो ने वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था जो वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल दावा पेश किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
नाहर

Scanned with CamScanner

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि

वादीगण रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 133/133 के खसरा संख्या 110/1 की 1.5810हैक एवं खाता संख्या 147/158 के खसरा संख्या 110/3 की 1.2010हैक कुल 2.7820हैक बहिब रहेगी जिसके उत्तर में मनीराम , कनीराम का खेत व दक्षिण में सडक व पूर्व मे आबादी पश्चिम में मनीराम व कनीराम की भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पास रोही मौजा ललानबास दिखनादा के खाता संख्या 157/157 के खसरा संख्या 110/2 की भूमि में से 1.0110हैक भूमि खसरा संख्या 110/5 की 0.1900हैक भूमि खाता संख्या 147/158 के खसरा संख्या 110/3 की भूमि में से 1.1390हैक कुल 2.23400हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पास रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 157/157 के खसरा संख्या 110/2 की 1.5810हैक में से प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. महेन्द्रसिह पुत्र गणपतराम जाति जाट साकिन ललानावास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रामकिशन पुत्र गणपतराम जाति जाट साकिन ललानावास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. कनीराम पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन ललानवास दिखनादा तहसील नोहर।
2. मनीराम पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन ललानवास दिखनादा तहसील नोहर।
3. कृष्ण कुमार जाखल पुत्र भूपसिह जाति जाट साकिन ललानवास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. जयलाल पुत्र मामचन्द जाति जाट साकिन ललानवास दिखनादा तहसील नोहर।
5. भूपसिह पुत्र मामचन्द जाति जाट साकिन ललानवास दिखनादा तहसील नोहर।
6. शाखा प्रबन्धक मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा ललानावास दिखनादा तहसील नोहर।
7. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैक इण्डिया शाखा रामगढ तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 544 सन 2022 निर्णय दिनांक–14/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादीगण रोही मौजा ललानावास दिखनादा के खाता संख्या 133/143 के खसरा संख्या 110/1 की 1.5810हैक एवं खाता संख्या 147/158 के खसरा संख्या 110/3 की 1.2010हैक कुल 2.7820हैक बहिब रहेगी जिसके उत्तर में मनीराम , कनीराम का खेत व दक्षिण में सडक व पूर्व में आबादी पश्चिम में मनीराम व कनीराम की भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पास रोही मौजा ललानावास दिखनादा के खाता संख्या 157/157 के खसरा सख्या 110/2 की भूमि में से 1.0110हैक भूमि खसरा संख्या 110/5 की 0.1900हैक भूमि खाता संख्या 147/158 के खसरा संख्या 110/3 की भूमि में से 1.1390हैक कुल 2.23400हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पास रोही मौजा ललानावास दिखनादा के खाता संख्या 157/157 के खसरा संख्या 110/2 की 1.5810हैक मे से प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner